

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462021
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651
ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क. स्था-1/राज/बी/260(ए)/2008/1257

भोपाल, दिनांक 25.09.2008

:: आदेश ::

संचालनालय लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा निम्नांकित प्राचार्य, हाईस्कूल को उनके नाम के सम्मुख कॉलेम क. 04 में अंकित संस्था में समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है :-


क्र.	नाम व पद	कार्यरत संस्था	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री ए.के. पाठक, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल हिन्नोद जिला सागर	शास हाईस्कूल मैसानाका सागर
2	श्रीमती शोभा खरे, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल मुगलसराय, विदिशा	शा. हाईस्कूल शाहपुर, भोपाल
3	श्री कं.बी. सिसोदिया, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल जकोदा ग्वालियर	कार्या. जि.शि.अ. ग्वालियर
4	श्रीमती छाया पंवार, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल पलासी देवास	शा. हाईस्कूल पिगम्बडर इंदौर
5	श्री प्यार सिंह सोलंकी, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल खटसुर शाजापुर	शा. हाईस्कूल गुहाना इंदौर
6	श्री विनोद कुमार सक्सेना, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल सडवा छतरपुर	शा. हाईस्कूल इमलिया छतरपुर
7	श्रीमती रजनी मोहगांवकर, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल खिरेटी छिंदवाडा	शा. हाईस्कूल पिण्डरईकलां छिंदवाडा
8	श्री अशोक बानी, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल हरदुआ, कटनी	शा. हाईस्कूल क. 1 खरखरी कटनी
9	श्री अतुल मौदगिल, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल पालकी, विदिशा	प्रभारी प्राचार्य शा. उमावि. बरेठ बासोदा, विदिशा
10	श्री बी.एस. शर्मा, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल मडेसर नरसिंहपुर	शा. हाईस्कूल समनापुर नरसिंहपुर
11	श्री विद्या राम माहेरवरी, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल गडवारा मेहगांव, भिण्ड	शा. हाईस्कूल बिलाव, भिण्ड
12	श्रीमती अमिता शुक्ला, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल शिवनी इंदौर	शा. क. हाईस्कूल हब्सी बिचौली इंदौर. (दि. 1.11.08 से प्रभावशील)
13	श्रीमती पुष्पा शर्मा, प्राचार्य	शा. हाईस्कूल पलदुना उज्जैन	शा. हाईस्कूल फतेहाबाद, उज्जैन

2) उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(Handwritten Signature)

- 3) उक्तानुसार स्थानांतरित प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी आदेश दिनांक से 07 दिवस के अंदर स्थानांतरित संस्था हेतु परीक्षण उपरांत कार्यमुक्त करेंगे।
- 4) उक्त स्थानान्तरण स्वैच्छिक है। यदि कोई प्राचार्य स्थानांतरित संस्था हेतु प्रस्थान नहीं करना चाहता है तो जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित प्राचार्य से अभिमत लेकर अवगत कराएंगे तथा उस प्राचार्य को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
- 5) उक्त स्थानान्तरण स्वैच्छिक होने से टी.ए./डी.ए. की पात्रता नहीं होगी।
- 6) यदि स्थानांतरित संस्था में पद रिक्त न हो तो जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित प्राचार्य को स्थानांतरित संस्था हेतु कार्यमुक्त नहीं करेंगे तथा ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधितजन के लिए निष्प्रभादी होगा।
- 7) उपरोक्त आदेश में यदि पदोन्नति निरस्त के अधिकारी सम्मिलित हो तो उनके लिए यह आदेश मान्य नहीं होगा।
- 8) यदि स्थानांतरित नवपदोन्नत प्राचार्य, हाईस्कूल द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया हो तो भी संबंधित को पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त करें। ऐसे नवपदोन्नत हाईस्कूल प्राचार्यों को पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 04 अक्टूबर 2008 की समय-सीमा में वृद्धि की जाती है।


"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


(बी.आर. नायक) 19/08
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क. स्था-1/राज/बी/260(ए)/2008/1258
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 25.09.2008

1. सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी म.प्र. भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
 4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
 5. कलेक्टर जिला म.प्र.
 6. संयुक्त संचालक, म.प्र.
 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.
 8. जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.
 9. कोषालय अधिकारी, म.प्र.
 10. प्राचार्य, म.प्र.
 11. संबंधित श्री
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त 25/9/08
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश